

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग — खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 1975 आश्विन 4, 1897

No. 189] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 1975/ASVINA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है। जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th September 1975

SUBJECT.—*Import Policy for the licensing period April 1975—March 1976.*

No. 101-ITC(PN)75.—Attention is invited to the import policy as contained in the ITC Policy Red Book (Vol. I) for the period April 1975—March 1976.

2. The following amendments shall be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy Red Book (Vol. I) for the period April 1975—March 1976.

Page No. of the Red Book (Vol. I).	Reference	Details of amendments
1	2	3
7	Section I	Below paragraph 48, the following new paragraph 48 A may be deemed to have been inserted :— “48-A. It will be open to the sponsoring authorities to recommend licences for a maximum value of Rs. 10,000/- in cases in which the entitlement

1	2	3
		of the units on the basis indicated in para 48 above works out to less than Rs. 10,000/- and the sponsoring authorities consider that the issue of licences on the basis of entitlement (for value below Rs. 10,000/-) would render their production uneconomic and will create genuine difficulty. In the case of proposed units, this value limit in respect of half-yearly applications will be Rs. 5,000/-."
308	Section V, Appendix 46 Item No. 4- special grade PVC resin (for manufacture of PVC separators only).	The following revised entry shall be deemed to have been substituted :— "PVC resin used in the manufacture of battery separators will be licensed to actual user borne on the books of the DGTD on a restricted basis, on the recommendations of the DGTD,d

B.D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य संत्रालय

मार्केजिनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर, 1975

विषय.—अप्रैल, 1975-मार्च, 1976 लाइसेंस अवधि के लिए आयात नीति ।

सं० 101-आई०टी०सी० (पो०एम०)/75.—अप्रैल, 1975-मार्च, 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक (वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

अप्रैल, 1975-मार्च, 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक (वा० 1) में निम्नलिखित संशोधन उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

रेड बुक संदर्भ
(वा० 1)
की पृष्ठ
संख्या

संशोधनों के व्यौर

1	2	3
7	खंड 1 कंडिका 48 के नीचे निम्नलिखित कंडिका 48ए को जोड़ा गया समझा जाए :— "48ए प्रायोजक प्राधिकारियों को उन मामलों में अधिक से अधिक 10,000 रुपये मूल्य के लिए लाइसेंस के लिए सिकारिश करने की स्वतंत्रता होगी जिनमें एककों की हकदारी उपर्युक्त कंडिका 48 में संकेतित आधार पर 10,000 रुपये से कम की होती है और प्रायोजक प्राधिकारी समझते हैं कि हकदारी के आधार पर (10,000 रुपये मूल्य से कम) लाइसेंसों का निर्गमन उनके उत्पादन को अलाभकर बना देगा और इससे वास्तविक कठिनाइयाँ पैदा हो जाएंगी । प्रस्तावित एककों के मामले में अर्ध वार्षिक आवेदनपत्रों के लिए यह मूल्य सीमा 5000 रुपये होगी ।"	

1	2	3
308	खंड 5, निम्नलिखित परिणोधित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— परिशिष्ट 46 “बैटरी विभाजक के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले पी वी सी मद सं० 4— रेजिन्स के लिए उन वास्तविक उपयोक्ताओं को महानिदेशक विशेष ग्रेड के तकनीकी विकास की सिफारिश पर प्रतिबंधता के आधार पी वी सी पर लाइसेंस दिए जाएंगे जो महानिदेशक तकनीकी विकास रेजिन्स (केवल की पुस्तक में अंकित है।” पी वी सी विभाजक के विनिर्माण के लिए)	

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

